वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्या : 207 /XVII(1)-01/2006-10(21)/2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, 20 मई 2006

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित "अनुदान संख्या-30" के "आयोजनेत्तर पक्ष" में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-908/XXVII(1)/2006, दिनांक 24 अप्रैल 2006 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित "अनुदान संख्या-30" के "आयोजनेत्तर पक्ष" में प्राविधानित धनराशियों को संलग्नक के अनुसार रूपये 21,28,000/- (रूपये इक्कीस लाख अठाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य रतर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एव बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आबंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल

BHUWAN PANDEY

स्याही से "अनुदान संख्या–30" तथा "आयोजनेत्तर" शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

5. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आबंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय–सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
10. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराएं।
11. बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के "अनुदान संख्या–30" के अन्तर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–158/XXVII(3)/2006, दिनांक 15 मई 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 807 (1)/XVII(1)-01/2006–10(21)/2005, तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तरांचल।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
6. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून।

BHUWAN PANDEY

7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
10. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादन, उत्तरांचल।
11. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन।
12. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

BHUWAN PANDEY

पत्र संख्या- [illegible] /XVII(1)-01/2006-10(21)/2005, दिनांक [illegible] मई 2006 का संलग्नक :

अनुदान संख्या-30

आयोजनेत्तर

मतदेय

लेखा शीर्षक	:	2225-01-001-08-00
मुख्य शीर्षक	:	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्या
उप मुख्य शीर्षक	:	01--अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक	:	001-निदेशन तथा प्रशासन
उप शीर्षक	:	08-अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान व्यय
ब्यौरेवार शीर्षक	:	00-

(धनराशि हजार रुपये में)

मानक मद	आबंटित धनराशि
01-वेतन	600
03-महंगाई भत्ता	252
04-यात्रा व्यय	100
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25
06-अन्य भत्ते	66
07-मानदेय	160
08-कार्यालय व्यय	20
09-विद्युत देय	20
10-जलकर/जलप्रभार	5
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10
13-टेलीफोन पर व्यय	50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	200
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	115
18-प्रकाशन	10
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50
22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	20
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	10
42-अन्य व्यय	10
45-अवकाश यात्रा व्यय	25
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	30
48-महंगाई वेतन	300
योग	2128

(रूपये इक्कीस लाख अठाईस हजार मात्र)

(राधा रतूड़ी)
सचिव।